

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 553/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मार्शल हेरेंज
जुलियानी हेरेंज

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित

21.08.19

आदेश

आवेदक मार्शल हेरेंज पिता स्व० निस्तार हेरेंज ग्राम-मालगो, पोस्ट-बिनगांव, थाना-कर्मा, जिला खूँटी ने जुलियानी हेरेंज पिता स्व० सुलेमान हेरेंज ग्राम-मालगो, पोस्ट-बिनगांव, थाना कर्मा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड में) |
|-------|----------|----------|-----------|----------------|
| मालगो | 117 | 19 | 829 | 0.18 |

अंचल अधिकारी, कर्मा के पत्रांक 888 दिनांक 14.08.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार स्थानीय जांच के क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि विक्रेता मार्शल होरो की मृत्यु हो चुकी है। अंचल अधिकारी, कर्मा द्वारा भूमि विक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्मा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

21/08/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

21/08/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।